

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

हारे किं० \_\_\_\_\_ विपक्षी \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
 मुकदमा 88RT Act पत्रावली संख्या 236/13 सन् \_\_\_\_\_

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

14/10/25  
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप देवने जा-पत्र 01R10 CPC  
 के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम  
 अवसर दिया जाकर फत्रावली दि 18/11/25  
 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

18/11/25  
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप देवने जा-पत्र 01R10 CPC  
 के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम  
 अवसर दिया जाकर फत्रावली दि 16/12/25  
 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

16/12/25  
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप देवने जा-पत्र 01R10 CPC  
 के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम  
 अवसर दिया जाकर फत्रावली दि 06/01/26  
 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

06/01/26 पत्रावली पेश की गई। आदि. ~~उप~~  
 वादी एवं राज पत्रों का व 34.1 01.44  
 01R10 CPC पेश करने हेतु आदि. वादी  
 को आगामि क्रिया का ज्ञात था, परन्तु  
 आदि. न क 01.44 01R10 CPC वादी  
 के लिये उपर्युक्त नहीं किया गया है। अतः  
 पुनः वादी को आगामि क्रिया ज्ञात है  
 कि आगामि पेशी के आवश्‍यक रूप  
 से P.D.A. को परामर्श मुहैया कराने  
 हेतु 01.44 उपर्युक्त करें अथवा अंतिम  
 कार्यवाही प्रमल में जारी जारी की। पत्रावली  
 वादी पेश करने 01.44 01R10 CPC दिनांक  
 29/01/26 को पेश हो।  
 (SDO) मावली



29/1/26

वकूल्स वारी/प्रतिवादी उप  
के लिये मौका चाहते है। अतः  
अक्सर दिया जाकर पत्रावली  
को पेश है।

पुनः करे धा.पत्रावली/PC

23/2/26

(SDO) मावली

23/02/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी मय स्वयं  
वारी अनुपस्थित। अधिवक्ता वारी मय स्वयं  
वारी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।  
समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वारी  
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।  
अतः अधिवक्ता वारी मय स्वयं वारी अनुपस्थित  
रहने पर वारी का वाद अदम राजरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर शुमार नम्बर से कम हो।  
निर्णय खुले न्यायालय बुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली